विलोपित विलोपित विलोपित विलोपित

न्यायालय :– माननीय राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

प्र.क. /2018 पुनर्विलोकन – 3642/2018/निग़रानी/भू.रा.

श्री S. P. Dhakad Adv. द्वारा आज दि. 13-6-18 को प्रस्तुत। प्रारंभिक तर्क हेतु दिनांक 21-6-18 नियत।
क्लर्क ऑफ कोर्ट 13-6-18
राजस्व मण्डल, म.प्र. ग्वालियर

1. मुल्लू पुत्र श्री बाबूलाल
2. श्रीमती मेवाबाई पत्नी श्री मुल्लू
3. भुजबल पुत्र श्री बाबूलाल
4. विनीता बाई पत्नी श्री भुजबल निवासीगण ग्राम कजेला तहसील ग्यारसपुर जिला विदिशा म.प्र. द्वारा मुख्तार आम महेन्द्र सिंह पुत्र रामसिंह निवासी करैया तहसील ग्यारसपुर जिला विदिशा म.प्र.

---- आवेदकगण

विरुद्ध

म.प्र. शासन जिलाध्यक्ष जिला विदिशा

---- अनावेदक

12.06.18

कार्यालय महाधिवक्ता, ग्वालियर
अग्रिम प्रति...
पृष्ठ क्र. ... से ...
दिनांक...
हस्ताक्षर व नाम...

पुनर्विलोकन अन्तर्गत धारा 51(1) म.प्र. भू–राजस्व संहिता 1959 न्यायालय मान. राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर के प्र.क. 2168–I/2015 निगरानी में पारित आदेश दिनांक 07.03.2018 के विरूद्ध पुनर्विलोकन आवेदन पत्र जानकारी दिनांक 30.05.2018 से अवधि अन्दर प्रस्तुत।

मान. न्यायालय,

आवेदकगण की ओर से पुनर्विलोकन आवेदन पत्र निम्न प्रकार पेश है:–

पुनर्विलोकन के संक्षेप में तथ्य :–

1. यह कि, प्रकरण की वास्तविक स्थिति इस प्रकार है कि, आवेदकगण द्वारा शासकीय पटटे से प्राप्त भूमि खसरा क्र. 35/1/1 रकवा 1.500 हें. कृषि योग्य न होने के कारण उक्त भूमि को

XXiX(a)-BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश - ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक - पुर्नावलोकन-3642/2018/विदिशा/भू.रा.

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
03.10.18	प्रकरण का अवलोकन किया। यह पुनरावलोकन इस न्यायालय द्वारा प्रकरण क्रमांक अपील-2168-एक/15 में पारित आदेश दिनांक 07.03.2018 के विरुद्ध प्रस्तुत किया गया है। उभयपक्ष अधिवक्ताओं के तर्कों पर विचार किया एवं आलोच्य आदेश का अवलोकन किया। संहिता की धारा किसी भी मामले का पुनरावलोकन किए जाने की परिस्थितियों का उल्लेख संहिता की धारा-51 सहपठित आदेश 47 नियम 1 व्यवहार प्रक्रिया संहिता में किया गया है। जिसके अनुसार किसी नई और महत्वपूर्ण बात या साक्ष्य का पता चलना जो तत्परता के पश्चात भी पूर्व में आदेश पारित करते समय ज्ञान में नहीं था या कोई ऐसी त्रुटि या भूल जो अभिलेख से प्रकट हो या अन्य कोई पर्याप्त कारण। पुनरावलोकन आवेदन में जो आधार दिए गए हैं उनका निराकरण मेरे द्वारा कारण दर्शाते हुए पूर्व में ही किया जा चुका है। आलोच्य आदेश में मेरे द्वारा स्पष्ट किया गया है कि अपीलार्थीगण द्वारा प्रस्तुत अनुबंध पत्र से स्पष्ट है कि अपीलार्थीगण उन्हें पट्टे पर प्राप्त भूमि को तो महेन्द्र सिंह किरार को विक्रय करना चाहते हैं, परंतु प्रश्नाधीन भूमि के बदले कौन सी और कितनी भूमि क्रय करेंगे इस संबंध में कोई दस्तावेज अभिलेख में उपलब्ध नहीं हैं और ना इस इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किए गए हैं। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय के आदेश में कोई त्रुटि प्रतीत नहीं होती है दर्शित परिस्थिति में यह पुनरावलोकन आवेदन ग्राह्य योग्य न होने से अग्राह्य किया जाता है। **प्रशासकीय सदस्य**	